न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29 / 2022

दीन मौहम्मद पुत्र निवाज खां जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी प्रार्थी

बनाम

1. शेरू
2. आसमौहम्मद
3. कासम
4. अली मौहम्मद
5. कमरू
6. आसम
7. जुबैर पिसरान प्रताप जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी
8. साहुन पुत्र आसमौहम्मद
9. आलम पुत्र शेरू
10. युसुफ
11. पुन्ना पिसरान अलीमौहम्मद
12. नपीस पुत्र कासम जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री अशोक शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :–01 / 05 / 2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 466 / 0.16, 462 / 0.33 हैक्टर बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया का प्रार्थी खातेदार काश्तकार काबिज रहकर आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी पर आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध नहीं है। फिर भी प्रार्थी की आराजी में पहले डाठरे डाले और अब ईट, पत्थर, बजरी डालकर पक्का निर्माण करने पर प्रयत्नशील है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर मदाखलत व मजाहमत करना चाहता है अप्रार्थीगण लट्ठ व ताकत वाले व्यक्ति है जो प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर कब्जा नाजाइज करना चाहते है इस बाबत अप्रार्थीगण ने दिनांक 25 / 01 / 2022 को ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे अप्रार्थीगण को जरिये चन्द रोजा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये । जबाब

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है प्रार्थी का अप्रार्थीगण की आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी के मध्य डौल मेड बनी हुई है अप्रार्थीगण ने अपने आराजी खसरा नम्बर 461 में ही एक रास्ता है जिसे सभी ग्रामीण आने जाने के उपयोग व उपभोग में लेते है व अप्रार्थीगण का अपनी आराजी पर शान्ती पूर्वक कब्जा व काश्त है प्रार्थी आये दिन अप्रार्थीगण को बिना वजह मुकदमेंबाजी में फंसाकर तंग व परेशान करता रहता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही कभी रहा है। लेकिन बिना किसी अधिकार के अप्रार्थीगण कब्जे काश्त प्रार्थी में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है एवं कब्जा नाजायज करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को आराजी पर निर्माण न करने हेतु पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही कभी रहा है। लेकिन बिना किसी अधिकार के अप्रार्थीगण कब्जे काश्त प्रार्थी में मदाखलत व मजाहमत करते रहते है एवं कब्जा नाजायज करना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण इसमें सफल हो जाते हैं तो अत्यधिक असुविधा भी प्रार्थी को ही होगी।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 466/0.16, 462/0.33 हैक्टर बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में ताफैसला मुकदमा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे हकूक प्रार्थी जायल हो।

निर्णय आज दिनांक 01/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner